राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)(   )डीएलबी/25/ 10131   दिनांकः 29/3/2025

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप–धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानकों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार निम्नांकित सम्पूर्ण ग्राम पंचायत का सम्पूर्ण क्षेत्र को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित करती है :–

क्र.सं.	जिला	नवगठित नगर पालिका का नाम	नवगठित नगर पालिका में शामिल ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र
01.	**सीकर**	**पलसाना**	ग्राम पंचायत **पलसाना** का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र । (जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या – 13,186)

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट घोषणा 2025–26 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पलसाना की विधमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका पलसाना की स्थानीय सीमाएं रहेगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(इन्द्रजीत सिंह)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)(   )डीएलबी/25/ 10132 – 10160   **दिनांकः** 29/3/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सचिवालय जयपुर।
02. विशिष्ट सहायक , माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग/पंचायत राज0 विभाग जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
04.. संभागीय आयुक्त, जयपुर /जिला कलेक्टर सीकर, राजस्थान।
05. सचिव,/उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
06. सचिव/आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त नगर पालिका पलसाना में सम्मिलित किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव, को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही एवं पालना हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
07, निदेशक/अधीक्षक, लेखन एंव मुद्रण सामग्री विभाग, राज0 जयपुर को राज. राजपत्र के भाग 6 (क) के **आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।**
08.. निदेशक जनगणना विभाग, राज0 जयपुर।
09.. निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज'. जयपुर ।
10. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर ।
11 उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
12. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
13. नोडल अधिकारी वेवसाईट निदेशालय को वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. सरपंच /उप सरपंच/सदस्य, ग्राम पंचायत पलसाना
15. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, निदेशालय को लेख है कि प्रकरण में केवियट दायर करें।
16. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

Scanned with CamScanner